कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/1794/वाचक/2020 सूरजपुर दिनांक 02 /06/2020

प्रति,

1. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत
   ...., जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
2. सर्व थाना प्रभारी,
   जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

विषयः- ठेला/गुमटी खोले जाने के संबंध में निर्देश।

--- 0 ---

विषयांकित के संदर्भ में पूर्व में कार्यालयीन आदेश दिनांक 25/5/2020 के माध्यम से जिलान्तर्गत चौपाटी, चाट पकौड़ी ठेले के खुलने एवं बंद होने के संबंध में सभी इन्सीडेन्ट कमाण्डर उनके क्षेत्र अन्तर्गत उपरोक्त दुकानों के खुलने एवं बंद होने के संबंध में निर्देश प्रसारित किया गया है। पुनः कैबिनेट में लिये गये निर्णय अनुसार ठेला/गुमटी का संचालन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किया जाता है-

1. ठेले/गुमटी सुबह 9.00 बजे से शाम 6.30 बजे तक खोले जायेगें।
2. सोमवार से शनिवार तक खोले जायेगें।
3. 2 ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रहेगी।
4. यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और ठेले अधिक हो तो वहां मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं थाना प्रभारी सामंजस्य से ऑड-इवन कर 20 फीट की दूरी का पालन करायेंगें।
5. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
6. साबुन /सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
7. टेक अवे अनिवार्य होगा ठेले में खड़े होकर खाने की सुविधा नहीं दी जायेगी।
8. ठेले के पास गोल मार्किंग की जायेगी, दूरी बनाकर खड़ा होना होगा।
9. ठेले के पास मुंह धोना /थूकना/गंदगी फैलाना प्रतिबंधित होका।
10. सार्वजनिक स्थल में शराब/पान/गुटका/तम्बाकू का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।
11. निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त समस्त निर्देश का पालन कराते हुए संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत तथा थाना प्रभारी ठेला/गुमटी का संचालन शुरू करायेगें।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक/1794A/वाचक/2020 **सूरजपुर, दिनांक 02 /06/2020**

प्रतिलिपि,

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग.शासन गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर को सूचनार्थ।

Scanned by CamScanner

6. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, सूरजपुर को प्रेष विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशनार्थ।
8. सर्व तहसीलदार जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

District M... Surajpur

Scanned by CamScanner